फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती प्यारचंद बनाम शंकरसिंह

म मुकदमा वाद पत्र धारा 88 89 93 ए 188 नं० 49 सन 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9.22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 18.10.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
20.9.22 वकील वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगद से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे वकील वादिया ने बताया कि वादिया एंव प्रतिवादी के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है अत: प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे। मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित मे वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे वादिया एव प्रतिवादी के बीच आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	